

१४७

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी – ३-७/१/३/२०११

भोपाल, दिनांक २४/०६/२०११

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र.गवालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य पदेश ।

विषय:- शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति
बावत

संदर्भ:- इस विभाग का ज्ञाप क्र० सी-३/४/१/३/२००६ दिनांक १८.८.०८

शासकीय सेवकों की सेवाकाल में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके परिवार के
आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में परिपत्र दिनांक १८.८.०८ द्वारा निर्देश
जारी किये गये हैं, जिसकी कंडिका ६.५ में प्रावधान है कि दिवंगत शासकीय सेवक की
धर्मपत्नी के लिए सहायक ग्रेड-३ के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए हिन्दी मुद्रलेखन
परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं कम्प्यूटर संचालन के ज्ञान के लिये तीन वर्ष का समय दिया
जावेगा तथा अन्य आश्रितों के लिये एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है।

२/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त प्रावधान
को विलोपित करते हुए कंडिका ६.५ निम्नानुसार स्थापित की जाये :-

“ दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को सहायक ग्रेड-३ के पद पर अनुकम्पा
नियुक्ति के लिये हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा / परीक्षा मान्यता
प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किये जाने हेतु ३ वर्ष का समय दिया जावेगा । तीन वर्ष में
भी वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा परीक्षाएं उत्तीर्ण
करने के प्रयासों और टाईपिंग क्षमता जो अर्जित की गई हो, को देखते हुए
नियेक्ता अधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है । इस अवधि
के व्यतीत होने पर भी संबंधित कर्मचारी द्वारा वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर
उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी”

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


२४/६/२०११
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन

(2)

क्रमांक सी / 3-7/1/3/2011
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक २८/०६/२०११

1. रजिस्टर जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्डौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश, भोपाल
8. मंत्री / राज्य मंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश, भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्डौर / ग्वालियर / जबलपुर ।
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर / भोपाल
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल
15. उप सचिव / अवर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश, मंत्रालय भोपाल ।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल ।
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।

( अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग